छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक: 823 A / शैक्ष. / प्रवेश / 2017–18 दुर्ग

दिनांक: 19 / 06 / 2017

प्रवेश सूचना

पशुपालन में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री) के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश सूचना

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत (1) वेटनरी पॉलीटेक्निक, महासमुंद (2) वेटनरी पॉलीटेक्निक, जगदलपुर (3) वेटनरी पॉलीटेक्निक, सूरजपुर (4) वेटनरी पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव * में पशुपालन में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री) के 02 वर्षीय पाठ्यक्रम के कुल 300+60* सीटों में प्रथम वर्ष 2017–18 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता:– छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 31 दिसम्बर 2017 को 17 वर्ष की हो परन्तु 22 वर्ष से अधिक न हो। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के कुल प्राप्तांक में से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो। अनु.ज.जाति/ अनु.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिलाओं, कृषक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग अभ्यर्थियों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

आवेदन पत्र:– प्रवेश हेतु आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cgkv.ac.in से डाउनलोड कर या विश्वविद्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, आवश्यक दस्तावेज व **निर्धारित शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग आवेदक हेतु 300/– रूपये व अनु.जाति एवं अनु.जनजाति हेतु 200/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग** के नाम से देय होगा, संलग्न कर अंतिम तिथि 11/07/2017 तक **केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट** से नीचे दिये गये पते पर स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर " **पशु पालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2017–18 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**" अनिवार्य रूप से लिखे। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

आवेदन पत्र भेजने का पता:– कार्यालय प्रभारी अधिकारी, वेटनरी पॉलीटेक्निक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग (छ.ग.) 491001

प्राविण्यता सूची के आधार काउंसिलिंग द्वारा श्रेणीवार एवं वर्गवार चारो पॉलीटेक्निक में प्रवेश दिया जायेगा। काउंसिलिंग की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जावेगी व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

*** छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति की प्रत्याशा में।**

कुलसचिव

E:\CGKV Durg\Estt - 2\Poly Pravesh\Veterinary Polytechnic Admission 2017-18.docx

पशुपालन में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैंण्ड्री)
आवेदन पत्र

फोटो
स्वयं अभ्यर्थी द्वारा
सत्यापित नवीनतम
पासपोर्ट साईज

प्रति

कुलसचिव,
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

बैंक का नाम ———————ड्राफ्ट क./दि. ——————रूपये ———

1. नाम (श्री/ सुश्री /श्रीमती)हिन्दी में ————
   अंग्रेजी में Block Letter:
2. पिता / पति का नाम (श्री)
3. माता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. दिनांक 31.12.2017 को आयु :– वर्ष ————माह दिन
6. जाति :
7. आरक्षित वर्ग :
8. लिंग(महिला/पुरूष/अन्य) :
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :

10. पत्राचार हेतु पता(यदि स्थायी पता से भिन्न हो)

11. **फोन/मोबाईल नं. (व्यक्तिगत)** ———— **फोन नं. (अभिभावक)**
    ई–मेल————
12. **शैक्षणिक योग्यता:**

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	10 वी				
2	12 वी				

13. कक्षा 12वीं में भौतिकी,रसायन एवं जीव विज्ञान में प्राप्तांक एवं प्रतिशत:

क्र	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	तीनों विषयों का कुल प्रतिशत
01	भौतिकी			
02	रसायन विज्ञान			
03	जीव विज्ञान			

14. **क्या** आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है ? हाँ/नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
15. आवश्यक सलंग्न प्रमाण प्रत्रों की सूची निम्नानुसार है:

1) 10वीं की अंक सूची
2) 12वीं की अंक सूची
3) चिकित्सा प्रमाण पत्र
4) जाति प्रमाण पत्र
5) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र
6) स्थाई जाति प्रमाण पत्र
7) आय प्रमाण पत्र
8) वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र(कृषक/स्वतंत्रता सेनानी/निःशक्तजन)
9) स्थानांतरण प्रमाण पत्र
10) अंतराल प्रमाण पत्र
11) प्रवजन प्रमाण पत्र
12) चरित्र प्रमाण पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम व पूरा पता)

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और पूर्ण विश्वास के साथ सत्य है और यदि उक्त जानकारी अथवा प्रमाण–पत्र/ अभिलेख असत्य/ कुटरचित पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

दिनांक :–
स्थान :–

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम व पूरा पता)

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित
शासकीय व्हेटनरी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित
" पशु पालन में डिप्लोमा " पाठ्यक्रम में
प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु
नियम एवं प्रकिया
(वर्ष 2017)

IT Cell.
Pl upload to U.V. website.
24/6

छत्तीसगढ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय : प्रभारी अधिकारी व्हेटनरी पालीटेक्निक
पशुचिकित्सा एंव पशुपालन महाविद्यालय,अंजोरा, दुर्ग
फोन : 0788–2623326 फैक्स : 0788–2623326
पिन कोड़ : 491001, www.cgkv.ac.in

डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री में प्रवेश नियम

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत

व्हेटनरी पालीटेक्निक राजनांदगांव/ व्हेटनरी पालीटेक्निक सुरजपुर / व्हेटनरी पालीटेक्निक जगदलपुर / व्हेटनरी पालीटेक्निक महासमुंद में वर्ष 2017–2018 में

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पशु पालन में डिप्लोमा) में प्रवेश हेतु नियम

1.0 सामान्य
ये नियम **डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री में प्रवेश नियम** कहलायेंगे । ये प्रवेश नियम **पशु पालन में डिप्लोमा** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2.0 **संस्था, एवं पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि**

2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत व्हेटनरी पालीटेक्निक एक संस्था है। इस संस्था में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में पशुचिकित्सक को सहायता प्रदान करने हेतु पैरावेट को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है।

2.2 **संस्था का पता–** (1) व्हेटनरी पालीटेक्निक राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) पिन 491441 (2) व्हेटनरी पालीटेक्निक सुरजपुर (छत्तीसगढ़) पिन 497229 (3) व्हेटनरी पालीटेक्निक जगदलपुर (छत्तीसगढ़)पिन 494001(4) व्हेटनरी पालीटेक्निक महासमुंद (छत्तीसगढ़)पिन 493445

2.3 पाठ्यक्रम – पशुपालन में डिप्लोमा

2.4 अवधि – 24 माह

3.0 **पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता**

3.1 भारत का नागरिक हो

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो

3.3 प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष कलेण्डर वर्ष के दिनांक 31 दिसम्बर को 17 वर्ष की हो परन्तु 22 वर्ष से अधिक न हो।

3.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान, विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

3.5 **न्यूनतम अंक सीमा**
प्रवेश हेतु 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जनजाति /

प्रभारी अधिकारी
व्हेटनरी पालीटेक्निक
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

अनूसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण की हो।

3.6 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेषन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 अथवा छत्तीसगढ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं की मूल अंकसूची के विज्ञान विषयों क्रमष: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्राप्त प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर किया जावेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर जीवविज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। जीव विज्ञान के प्राप्तांक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।

3.7 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते है वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

4.0 उपलब्ध सीटों का विवरण

4.1 पशु पालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है।

(1)व्हेटनरी पालीटेक्निक राजनांदगांव 60 सीट
(2)व्हेटनरी पालीटेक्निक सुरजपुर 100 सीट
(3) व्हेटनरी पालीटेक्निक जगदलपुर 100 सीट
(4) व्हेटनरी पालीटेक्निक महासमुंद 100 सीट

5.0 मूल निवासी, आरक्षित सीटें एवं आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं अर्हता

छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के व्हेटनरी पालीटेक्निक में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

व्हेटनरी पालीटेक्निक राजनांदगांव																														
Open /Unreserved (25)						ST(19)						SC(7)						OBC(9)						Total(60)						Grand Total
X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	
14	7	1	1	1	1	10	5	1	1	1	1	4	2	1	0	0	0	5	3	1	0	0	0	33	17	4	2	2	2	60
X=Un reserved or open,F=Women,K=Krishak,FF=Freedom Fighter, PH=Physically Handicaped,Ex =Ex-servicemen																														

कुलसचिव

	व्हेटनरी पालीटेक्निक सुरजपुर																													
Open /Unreserved (42)						ST(32)						SC(12)						OBC(14)						Total(100)						Grand Total
X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	
22	12	2	2	2	2	18	10	1	1	1	1	7	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	56	30	5	3	3	3	100
X=Un reserved or open,F=Women,K=Krishak,FF=Freedom Fighter, PH=Physically Handicaped,Ex =Ex-servicemen																														

	व्हेटनरी पालीटेक्निक जगदलपुर																													
Open /Unreserved (42)						ST(32)						SC(12)						OBC(14)						Total(100)						Grand Total
X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	
22	12	2	2	2	2	18	10	1	1	1	1	7	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	56	30	5	3	3	3	100
X=Un reserved or open,F=Women,K=Krishak,FF=Freedom Fighter, PH=Physically Handicaped,Ex =Ex-servicemen																														

	व्हेटनरी पालीटेक्निक महासमुंद																													
Open /Unreserved (42)						ST(32)						SC(12)						OBC(14)						Total(100)						Grand Total
X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	X	F	K	FF	PH	Ex	
22	12	2	2	2	2	18	10	1	1	1	1	7	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	56	30	5	3	3	3	100
X=Un reserved or open,F=Women,K=Krishak,FF=Freedom Fighter, PH=Physically Handicaped,Ex =Ex-servicemen																														

5.1 मूल निवासी की शर्ते

5.1.1 जो भारत का नागरिक हो

5.1.2 (क) जिसने विगत पांच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

प्रभारी अधिकारी
व्हेटनरी पालीटेक्निक
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :

(i) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुये कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी।

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ii) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। **(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)**

स्पष्टीकरण – 1 छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण – 2 अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में समक्ष न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – 3 दत्तक पुत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग 1 अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी

प्रभारी अधिकारी
वेटरनरी पालीटेक्निक
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

परीक्षा के प्रमाण से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा किन्ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

5.2 अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण :–

5.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये क्रमशः32, 12 एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.2.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय–समय पर छत्तीसगढ़ षासन की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देषों में विहित सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5.3 कृषक

5.3.1 सभी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत् किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिये 5 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किसी कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता। तथापि उसकी मेरिट जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुनें।

5.3.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने प्राथमिक. पांचवी, माध्यमिक, कक्षा आठवीं, मेट्रिक, हाईस्कूल, कक्षा दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक, कक्षा बारहवीं में से कोई दो परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की शाला से

नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिये भी समान रूप से लागू होगा।

5.3.3 शाला का ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिये तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.4 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी**

5.4.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों के लिये तीन प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.4.2 इस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते है और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो तो उसे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

5.4.3 स्वतंतत्रा संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ से संबंधित जिले के कलेक्टर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 **महिला**

सभी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला उम्मीद्वारों के लिये 30 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.6 **विकलांग उम्मीद्वार**

ऐसे उम्मीद्वार जो विकलांग हों उनके लिये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सभी श्रेणी के अंतर्गत 3 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश मान्य होगें ।

5.7. **भूतपूर्व सैनिक**

सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये तीन प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं।प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश मान्य होगें ।

प्रभारी अधिकारी
वेटनरी पालीटेक्निक
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

6.0 प्रवेश प्रक्रिया

10+2 (12 वीं)बोर्ड परीक्षा विज्ञान (भैतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) विषयों की मेरिट सूची के आधार पर किया जावेगा । 10+2 (12 वीं) बोर्ड परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेष की स्थिति में 6.2 एवं 6.3 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जावेगा ।

6.1 उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाषित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा ।

6.2 विज्ञान विषय (भैतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान) में प्राप्त अंकों की मेरिट के प्रतिषत के आधार पर सूची तैयार कर छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.cgkv.ac.in** में अपलोड किया जावेगा ।

6.4 रिक्त सीटों पर प्रवेश

6.4.1 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीद्वार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

6.4.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीद्वारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीद्वार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के अतिरिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर उम्मीद्वारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीद्वार से भरे जावेंगे।

6.4.3 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलाएं न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेगी।

6.5 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत रिक्त स्थान रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई होती है।

6.6 छ.ग. शासन, सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण में छूट संबंधी समय–समय पर जारी नियमों /अथवा दिषा–निर्देषों का पालन किया जायेगा । छ.ग. शासन, सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी आदेष मान्य होगें ।

7.0 डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री की प्रवीण्य सूची घोषित करने की विधि

7.1 आरक्षित श्रेणी की उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत् उतना रिक्त माना जावेगा। परंतु यह विभिन्न श्रेणियों में होरिजेन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

7.2 आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को सामान्य निल (आनारक्षित) श्रेणियों में प्रवेश प्राप्त हो रहा है उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण ऐसे अभ्यार्थी को सामान्य श्रेणी में प्रवेष से वंचित नहीं किया जावेगा । परन्तु ऐसे अभ्यार्थी को उस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा ।

8.0 प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण

डिप्लोमा इन एनीमल हस्बैन्ड्री में प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर आवेदकों को अस्थायी प्रवेश दिया जावेगा । प्रवेश के समय प्रवेषार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी । प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अहर्ता शर्तों को पूरा करना होगा । आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु **निम्नलिखित आवष्यक मूल प्रमाण पत्र काउसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होगें ।**

(i) 10 वीं की अंक सूची

(ii) 12 वीं. की अंक सूची

(iii) स्थायी जाति प्रमाण पत्र/ सत्यापित जाति प्रमाण पत्र

(iv) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र

(v) चिकित्सा प्रमाण पत्र

(vi) आय प्रमाण पत्र

(vii) वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र

(viii) स्थानांतरण प्रमाण पत्र

(ix) अंतराल प्रमाण पत्र

(x) प्रवजन प्रमाण पत्र

(xi) चरित्र प्रमाण पत्र

9.0 अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ

9.1 आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

9.2 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीद्वार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ षासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.3 उम्मीद्वार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

कुलसचिव
छ.ग.कामधेनु विश्व विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

9.4 छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत आने वाले पालीटेक्निक संस्थानों में रैगिंग पूर्णतः निषेध है।

10.0 प्रवेश निरस्तीकरण

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

11.0 विभागीय उम्मीद्वारों के लिए आरक्षण तथा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :–

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वेटनरी पॉलीटेक्निक में कुल उपलब्ध सीटों का 10 प्रतिशत कोटा अतिरिक्त रूप से सेवा भरती नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रहेगा । विभागीय उम्मीद्वार के रूप में डिप्लोमा पाठ्यकम हेतु मनोनीत किये जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता तथा सेवा शर्ते वही रहेगी जो सेवा भर्ती नियमों में उल्लेखित होंगी अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम 3.4 में उल्लेखित है, लागू होगा ।

क्र.	पॉलीटेक्निक का नाम	व्यापम अथवा 10+2 की प्रवीण्यता सूची से भरने वाली सीटों की संख्या	विभागीय कर्मचारियों से भरने वाली सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या
1.	वेटनरी पॉलीटेक्निक महासमुन्द	100	10	110
2.	वेटनरी पॉलीटेक्निक जगदलपुर	100	10	110
3.	वेटनरी पॉलीटेक्निक सूरजपुर	100	10	110
4.	वेटनरी पॉलीटेक्निक राजनांदगांव	60	06	66
	योग	**360**	**36**	**396**

11.1 चयन का आधार

नियमित स्थापना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता क्रम के आधार पर संचालक पशु चिकित्सा सेवायें छ.ग. द्वारा मनोनीत किया जाकर वेटनरी पॉलीटेक्निक में प्रवेश हेतु सूची विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी । शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विभागीय उम्मीद्वारों को आरक्षण का लाभ देय होगा ।

11.2 आयु सीमा

विभागीय उम्मीद्वार के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

प्रभारी अधिकारी
वेटनरी पालीटेक्निक
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग

कुलसचिव